न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 53/2021
GCMS NO. : 2021/113

–:: वादीया :–

1. रूकमा देवी पत्नी पुसाराम जाति– माली निवासी– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. अशोक पुत्र बगदाराम
2. राजेश पुत्र बगदाराम
3. सुरजीदेवी पत्नी बगदाराम
4. उदा पुत्र पूला
5. कुना पुत्र पूला
6. कमलादेवी पत्नी भोलाराम
7. कालूराम पुत्र महाराम
8. चान्दुदेवी पुत्री महाराम
9. ढगलाराम पुत्र तेजाराम
10. दुर्गा पुत्र पूला
11. बाबुलाल पुत्र मिश्रू
12. भीका पुत्र नेना
13. भोला पुत्र हजारी
14. मंजू देवी पुत्री गेन्दादेवी
15. राजूराम पुत्र गेन्दादेवी
16. शिवराम पुत्र महाराम
17. सायरी देवी पुत्री मिश्रुराम जातियान माली निवासी बलून्दा तहसील जैतारण।
18. अशोक राव पुत्र सरूपचंद जाति राव निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली।
19. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, जिला– पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.16.06.2021

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादीया।
2. श्री राजूनाथ चौलावत, श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 28/04/2022

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली में वादीया एवं प्रतिवादीगण की पैतृक व पुश्तैनी [illegible] कल्ला कारत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 19–16 बीघा (20 हेक्टर) किस्म सेवज दोयम आई हुई है। जिसमें वादीया 1/4 [illegible] आतिदार काश्तकार है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का रेकर्ड अनुसार आता है तथा इसी हिस्से मे [illegible] काबिज होकर काश्त करते थ रहे है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी संवत 2077 से 2000 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

खसरा नक्शा ट्रेस इस आराजी की बाद पत्र के साथ पेश है। इस आराजी का वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण है तथा विवादित भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 की संयुक्त व सामलाती है तथा इस सम्पूर्ण भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के बीच अभी तक बाई मिट्स एवं बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है। उक्त विवादित भूमि की प्रत्येक इंच हिस्से व भू भाग पर वादीया का 1/4 वां हक व हिस्सा व अधिकार प्राप्त है मौक पर वादीया का कब्जा काश्त भी है। उक्त भूमि बलून्दा से फालका रोड के पास स्थित होने से वर्तमान में बहु मूल्य एवं कीमती भूमि है। इस कीमती भूमि के रोड के पास वाले फन्ट ऐरिया (विशिष्ट भू भाग) को प्रतिवादीगण ने संयुक्त व खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किराये बिना ही अपने हक हिस्से की भूमि विशिष्ट भू भाग में होना बताकर के किसी अजनबी केता को बेचान करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 19 को संयुक्त व सामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किराये बिना इस भूमि के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर किसी अजनबी केता को बेचान करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। वादीया ने अपनी संयुक्त एवं सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 19 से कई बार निवेदन किया तब प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करवाने का कहते रहे लेकिन दिनांक 08.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ने इस संयुक्त व सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने से इंकार कर दिया तथा जबरदस्ती बाले बाले प्रतिवादीगण किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने हेतु साई ले ली है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा संयुक्त व सामलाती भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किराये बिना इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी क्रेता को जरिये बेचान रजिस्ट्री के बेचान कर देते है तो वादिया को अपने साम्पेतिक हक व अधिकारों से महरूम होना पडेगा तथा वादीया अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी, जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाउ बनाकर उस पर काश्त करना चाहता है। जिसमें प्रतिवादीगण बाधा व अड़चन पैदा कर रहे है वादीया को अपने हक हिस्से की भूमि बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा नही मामने एवं आराजी के बंटवाड़े को लेकर के वाद विवाद भी करने पर वादीया के पास इन विषम परिस्थितियों में यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। विवादित भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं सामलाती है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हुआ है प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 ने इस संयुक्त एवं सामलाती पैतृक व पुश्तैनी आराजी का बंटवाड़ा करवाये बिना ही अजनबी केता को बेचान कर देते है तो अवैध बेचान के आधार पर अजनबी केता अपना हक व हिस्सा व अधिकार जताते हुए कब्जे को लेकर विवाद करेगा। जिसका वादीया विरोध [illegible] तब और विवाद बढेगा। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि संयुक्त व सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाये बिना एक सह हिस्सेदार को संयुक्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को वैधान व अन्य हस्तान्तरण करने का किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:30:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

फिर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है तथा प्रतिवादीगण अपनी मनमर्जी से हर जगह जबरन काश्त करने व टंटा फसाद करने पर आमादा है तथा काश्त के मुतालिक समस्त कार्य करने पर आमादा है एवं यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाये तो वादीया अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगी जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। वादीया प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगी। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीया के पास अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी एवं उप पंजीयन अधिकारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाड़ा के बाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, परन्तु वादीया का वाद पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है, इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पत्र अनुमति लेकर के श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी.का अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 08.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने से स्पष्ट इंकार करने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04, 7, 10, 12 से 14, 16, 17, 19 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गई। प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 8, 9, 11, 15 व 18 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सामिल मिसल है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 8, 9, 11, 15 व 18 की ओर से इकबालिया जवाब दावा मय राजीनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी अपनी सहमति प्रदान करते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड एवं राजीनामा बंटवाड़ा करनें का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, राजीनामा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी राजस्व मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली राज0 सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अ[illegible] के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 369 रकबा 19-16 बीघा (3.2[illegible] हेक्ट०) किस्म सेवज दोयम में वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 8, 9, 11, 15 व 18 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 369 रकबा 19–16 बीघा (3.2051 हेक्टर) किस्म सेवज दोयम की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1113 दिनांक 08/12/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./22/2204 दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा एवं राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 19–16 बीघा (3.2051 हेक्टर) किस्म सेवज दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	रुकमा देवी पत्नी पूसाराम कौम माली सा.देह खातेदार	369/2	0.8013	सेवज दोयम	0.75
2.	उदा कुना दुर्गा पिता पूना कौम माली सा.देह खातेदार रहन दुर्गा का हि. आरएमजीबी बलून्दा	369/4	0.4006	सेवज दोयम	0.37
3.	कालूराम5/12 शिवराम5/12 पिता महाराम चान्दुदेवी पुत्री महाराम1/12 राजूराम पुत्र गेंदादेवी 1/24 मंजूदेवी पुत्री गेंदा देवी1/24 कौम माली सा.देह खातेदार	369/3	0.4006	सेवज दोयम	0.38
4.	भोला पुत्र हजारी1/4 कमला देवी पत्नी भोलाराम3/4 माली सा.देह खातेदार	369	0.4006	सेवज दोयम	0.37
5.	अशोक पुत्र सरूपचन्द कौम राव 4007/12020 ढगलाराम पुत्र तेजाराम [illegible] पुत्र भिक्षु 501/6010 सायरी पत्[illegible] 501/6010 भीका पुत्र [illegible] सुरजी देवी पत्नी बगदाराम [illegible] बगदाराम10/601 राजेन्द्र [illegible] सुमन पुत्री बगदाराम10/601 अशोक [illegible] पुत्र बगदाराम10/601 कौम माली सा.देह खातेदार	369/1	1.2020	सेवज दोयम	1.11

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/04/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीया :-

1. रूकमा देवी पत्नी पुसाराम
जाति- माली निवासी-
बलून्दा,
तहसील- जैतारण, जिला-
पाली राज0।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. अशोक पुत्र बगदाराम
2. राजेश पुत्र बगदाराम
3. सुरजीदेवी पत्नी बगदाराम
4. उदा पुत्र पूना
5. कुना पुत्र पूना
6. कमलादेवी पत्नी भोलाराम
7. कालूराम पुत्र महाराम
8. चान्दुदेवी पुत्री महाराम
9. ढगलाराम पुत्र तेजाराम
10. दुर्गा पुत्र पूना
11. बाबुलाल पुत्र मिश्रू
12. भीका पुत्र नेना
13. भोला पुत्र हजारी
14. मंजू देवी पुत्री गेन्दादेवी
15. राजूराम पुत्र गेन्दादेवी
16. शिवराम पुत्र महाराम
17. सायरी देवी पुत्र महाराम जातियान माली निवासी बलून्दा तहसील जैतारण।
18. अशोक राव पुत्र सरूपचंद जाति राव निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली।
19. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण, जिला- पाली राज0

मु0न0 :रा0वा0 स0: 53/2021

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजूनाथ चोलावत,श्री हरिओम पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 19-16 बीघा (3.2051 हेक्टर) किस्म सेवज दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:30:15 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकुनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
1.	रूकमा देवी पत्नी पूसाराम कौम माली सा.देह खातेदार	369/2	0.8013	सेवज दोयम	0.75

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

2.	उदा कुना दुर्गा पिता पूना कौम माली सा.देह खातेदार रहन दुर्गा का हि. आरएमजीबी बलून्दा	369/4	0.4006	सेवज दोयम	0.37
3.	कालूराम5/12 शिवराम5/12 पिता महाराम चान्दुदेवी पुत्री महाराम1/12 राजूराम पुत्र गेंदादेवी 1/24 मंजूदेवी पुत्री गेंदा देवी1/24 कौम माली सा.देह खातेदार	369/3	0.4006	सेवज दोयम	0.38
4.	भोला पुत्र हजारी1/4 कमला देवी पत्नी भोलाराम3/4 माली सा.देह खातेदार	369	0.4006	सेवज दोयम	0.37
5.	अशोक पुत्र सरूपचन्द कौम राव 4007/12020 ढगलाराम पुत्र तेजाराम 501/3005 बाबूलाल पुत्र भिक्षु 501/6010 सायरी पत्नी भिक्षु 501/6010 भीका पुत्र नेना 2003/12020 सुरजी देवी पत्नी बगदाराम 1/10 गुडिया पुत्री बगदाराम10/601 राजेन्द्र पुत्र बगदाराम10/601 सुमन पुत्री बगदाराम10/601 अशोक पुत्र बगदाराम10/601 कौम माली सा.देह खातेदार	369/1	1.2020	सेवज दोयम	1.11

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/04/2022 को जारी किया गया .।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–पाली) जैतारण, जिला–पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैस
स्टाम्प अर्जी दावा	04–00	स्टाम्प वकालतनामा	02–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	06–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–		मिजानः–	02–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:15 IST
Reason: SelfAttested